

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।


ज्ञापांक- 1768/15

मुज0 दिनांक- 10/10/15

प्रेषित,

M/S Happy Time & Telecom centre
Paradise Mansion , NH - 31
Barauni Industrial Area,
PO. - Paprour
Dist - Begusari - 851114

आपके पत्रांक 281/15 दिनांक 03.07.2015 के आलोक में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 513/14 दिनांक 28.03.2014 द्वारा न्यूनतम दर पर कुल रूपये 9000.00 (नौ हजार) पर कार्य की स्वीकृति दी गयी थी जो कि सभी सेवा कर सहित था। जबकी मात्र एक व्यक्ति के लिए कोई भी सेवा कर देय नहीं है आपके द्वारा सभी सेवा कर घटाकर कुल 6147.00 (छः हजार एक सौ सैतालीस) रूपये का पूर्व से ही विपत्र का भुगतान आपको किया जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा भुगतान संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गयी पुनः आपके द्वारा सीधा 9000.00 रूपये का विपत्र दिया गया एवं कुल 9000.00 रूपये भुगतान की अनुरोध किया जा रहा है जबकी एक चालक का किसी भी प्रकार का कर देय नहीं है। तो फिर आपके द्वारा 9000.00 रूपये मांग किये जाने का क्या औचित्य है। स्पष्ट करते हुए सूचित करे कि क्या आपको पूर्व में 9000.00 रूपये का भुगतान हुआ है। यदि हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।


प्राचार्य (1768/15)

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

21/10/15
10/10/15

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक - 1769/15 / मुज0, दिनांक - 10 अक्टूबर, 2015.

प्रेषित,

Happy Time & Telecom center N H - 31,
बरौनी इन्डस्ट्रीयल एरिया, पो0 - पापरोउर,
जिला - बेगुसराय, बिहार।

आपको सूचित करते हुए निदेश दिया जाता है कि इस संस्थान में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का मासिक वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से करेंगे अथवा उनके बैंक खाता से करेंगे। साथ ही कर्मचारियों को किस प्रकार से भुगतान किया गया का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे, तदोपरान्त ही अगले माह की विपत्र का भुगतान पर विचार किया जायेगा। कर्मचारियों को भुगतान संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। जिससे उत्पन्न होने वाली सारी परेशानियों की जबावदेही आपकी होगी।

B. Singh
प्राचार्य 10/10/15

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
24/3/15
10/10/15 मुजफ्फरपुर।